छ0ग0 उच्च न्यायालय बिलासपुर

निर्णय आरक्षित दिनांक 25.02.2020

निर्णय दिनांक 08.05.2020

सी0आर0ए0 नंबर 1389/2015

गोपाल चौधरी पिता राम चौधरी, उम्र–40 वर्ष,

निवासी–बरौनी, थाना–फुलवरिया,

जिला–बेगुसराय, बिहार

.... अपीलकर्ता

बनाम

छ0ग0 राज्य द्वारा थाना जी0आर0पी0,

भिलाई–3 सिविल एवं राजस्व जिला दुर्ग, छ0ग0

.........................प्रतिवादी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री एम0आशा अधिवक्ता की ओर से श्री ए0एल0 सिंगरौल अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्रीमती स्मिता झा, अधिवक्ता।

माननीय न्यायमूति राम प्रसन्न शर्मा

सी0ए0व्ही0 निर्णय

01. प्रस्तुत यह अपील विशेष न्यायाधीश एन0डी0पी0एस0 दुर्ग, छ0ग0 द्वारा विशेष एन0डी0पी0एस0 प्रकरण क्रमांक 01/2015 में पारित दिनांक 14.07.2015 के निर्णय के विरूद्व प्रस्तुत की गई हैं, जिसमें उक्त न्यायालय ने अपीलकर्ता को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 संक्षेप में अधिनियम की 1985 की धारा–20बी(ii)(b) के अन्तर्गत 5 वर्ष के सश्रम कारावास लिए आर0आई0 तथा 25,000/–रूपये के जुर्माने की सजा से दण्डित किया गया। जिसमें चूक की शर्त भी हैं।

02. अभियोजन के कथनानुसार दिनांक 06 दिसम्बर 2014 को थाना–प्रभारी (अ0सा0 09) राजकुमार बोरझा को मुखबिर से गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लगभग 35–40 वर्ष का एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन के जनरल कोच में यात्रा कर रहा है। जिसके पास प्रतिबंधित पदार्थ गांजा हैं। तत्पश्चात थाना प्रभारी ने दो स्वतंत्र गवाहों को बुलाकर मुखबिर सूचना तैयार की, रोजनामचा सान्हा में सूचना दर्ज की तथा छापामार दल का गठन किया। यह सूचना लिखित रूप में दर्ज की गई तथा तत्पश्चात उच्च अधिकारी को भेजी गई। तत्पश्चात पुलिस अधिकारी गवाहों के साथ मौके पर पहुंचे तथा उक्त छापेमारी में अपीलकर्ता के पास से प्रतिबंधित पदार्थ गांजा बरामद किया गया तथा वजन करने पर 5 किलोग्राम का पाया गया। जप्त प्रतिबंधित पदार्थ के 50–50 ग्राम का दो नमूने तैयार किए गए, जिसे ए–1, ए–2 से अंकित किया गया। प्रतिबंधित सामग्री के प्रत्येक नमूने को सील बंद कर दिया गया तथा शेष सामग्री को भी जप्त कर सील बंद कर दिया गया। मामले की जांच की गई तथा अपीलकर्ता के विरूद्व अभियोग पत्र तैयार किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय द्वारा अपीलकर्ता को उपरोक्तानुसार दोषी ठहराया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन नहीं किया है। इसलिए अभियोजन पक्ष का कथन विश्वनीय नहीं हैं। जांच अधिकारी द्वारा अधिनियम 1985 की धारा–50, 42, 55 व 57 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है तथा सामग्री वर्तमान अपीलकर्ता के अनन्य कब्जे में ही नहीं पाई गई हैं, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष अपास्त किये जाने योग्य हैं।

04. दूसरी ओर विद्वान राज्य अधिवक्ता ने यह स्वीकार किया कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष साक्ष्यों के उचित संयोजन के आधार पर दिया गया हैं जिस पर अपील के अधिकार क्षेत्र का आव्हान करते हुये इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

05. पुलिस निरीक्षक राजकुमार बोरझा (अ0सा0 09) ने विचारण न्यायालय के समक्ष बयान दिया कि उसे 06 दिसम्बर 2014 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के जनरल कोच में प्रतिबंधित पदार्थ गांजा लेकर यात्रा

कर रहा हैं। उक्त सूचना प्रदर्श पी0—22 के अनुसार रोजनामचा सान्हा में लिखित रूप में दर्ज की गई और प्रदर्श पी0—23 के अनुसार सूचना पुलिस अधीक्षक को भेजी गईं। इसके बाद दो स्वतंत्र गवाह क्रमशः प्रकाश तांडी और बहादुर सिंह कैवर्त्य को बुलाया गया, तब वे पुलिस कर्मियों के साथ शारीरिक संतुलन के साथ मौके पर पहुंचे। राजुकार बोरझा (अ0सा0 09) के बयान के अनुसार उन्होंने अपीलकर्ता के बैग की तलाशी ली और तलाशी से पहले उन्होंने एक नोटिस जारी किया कि अपीलकर्ता के पास राजपत्रिक अधिकारी या मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी लेने का विकल्प हो सकता हैं और तब अपीलकर्ता ने अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का विकल्प चुना। तत्पश्चात उक्त पुलिस अधिकरी द्वारा अपीलार्थी की तलाशी ली गई, अपीलार्थी ने कोई आपत्ति नहीं की और अपीलार्थी के बैग से प्रतिबंधित गांजा सामग्री बरामद की गई। सामग्री का वजन किया गय, जो 5 किलोग्राम पाई गई, 50—50 ग्राम के दो नमूने तैयार किए गए तथा उन्हें ए—2, ए—2 के तौर पर अंकित किया गया। इसके पश्चात थाना प्रभारी जी0आर0पी0भिलाई के रूप में विशिष्ट सील भी लगाई गई तथा पैकेट को सील बंद कर दिया गया। इस साक्षी के कथन के अनुसार जप्त सामग्री को मालखाना प्रभारी प्रधान आरक्षक (91), दिलीप पाण्डे (अ0सा0 07) को सौंप दिया गया। उन्होंने आगे यह भी बयान दिया कि तलाशी एवं जप्ती संबंधी सूचना पुलिस अधीक्षक को भेजी गई तथा नमूने को रामकुमार देवागंन द्वारा रेल्वे पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन के माध्यम से फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला को भेजा गया। साक्ष्य के दौरान जप्त सामग्री को विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस साक्षी के कथन का समर्थन दिलीप पाण्डेय (अ0सा0 07) के कथन से होता है जो जी0आर0पी0 थाना भिलाई के मालखाना का प्रभारी हैं, जिन्होंने जप्त सामग्री प्राप्त की और उसे मालखाना में जमा कर दिया। इस साक्षी के कथन का समर्थन आरक्षक राम कुमार देवागंन (अ0सा0 05) के कथन से होता है, जिन्होने मालखाना से नमूने लिए और फोरेंसिक प्रयोगशाला में नमूने जमा करने के बाद उसकी रसीद प्राप्त, जो कि प्रदर्श पी0—17 हैं।

06. इन सभी गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया गया। लेकिन बचाव पक्ष के पक्ष में कुछ भी नहीं निकल सका। पूरे साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ता के कब्जे से सामग्री जप्त की गई थी, जिसे जांच के लिए भेजा गया था और प्रयोगशाला रिपोर्ट प्रदर्श

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

पी0 35 के अनुसार गांजा की जांच सकारात्मक पाई गई थी। प्रकाश टांडी (अ0सा0 01) बहादुर सिंह कैवर्त्य (अ0सा0 02), भूषण कुमार सिन्हा (अ0सा0 03) और मनमोहन सिंह (अ0सा0 06) के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अधिनियम 1985 की धारा–42 के प्रावधानों के अनुसार उच्च अधिकारियों को सूचना भेजी गई थी। निरीक्षक राजकुमार बोरझा (अ0सा0 09), बी0 बाबूलाल (अ0सा0 08) और प्रकाश टांडी (अ0सा0 01) के साक्ष्य से यह स्थापित होता है कि अपीलकर्ता को अधिनियम 1985 की धारा–50 के प्रावधानों के अनुसार मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी द्वारा तलाशी लेने का अवसर प्रदान किया गया था। प्रकाश टांडी (अ0सा0 01) के साक्ष्य से जप्त सामान को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए मालखाना भेजा गया था। आरक्षक लिखन राम (अ0सा0 04) के साक्ष्य से अधिनियम 1985 की धारा–55 के अनुपालन में यह स्थापित होता है कि तलाशी और जप्ती की सूचना अधिनियम 1985 की धारा–57 के अनुसार पुलिस अधीक्षक को दी गई थी, इसलिए अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुत तर्क मानने योग्य नहीं हैं।

07. संपूर्ण साक्ष्य के समग्र मूल्याकंन से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के पास प्रतिबंधित पदार्थ गांजा था। अधिसूचना के अनुसार गांजे की अल्प मात्रा 1 किलोग्राम है, जबकि वाणिज्यिक मात्रा 20 किलोग्राम हैं। वर्तमान मामले में जप्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा 1 किलोग्राम से अधिक है, जो न तो अल्प मात्रा है और न ही वाणिज्यिक मात्रा है, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा कारित अपराध अधिनियम 1985 की धारा–20बी(ii)(b) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है और अधिनियम 1985 के तह्त निवारक दण्ड की आवश्यकता है, जिसके लिए विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और इसकी पुष्टि यहां भी की जाती हैं। विचारण न्यायालय ने 5 वर्ष की सजा सुनाई हैं, उसे कठोर, अनुपातहीन या अनुचित नहीं कहा जा सकता।

08. तद्नुसार प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जाती हैं। अपीलकर्ता के जेल में होने की सूचना है, इसलिए उसकी गिर0 आदि के लिए किसी और आदेश की आवश्यकता नहीं हैं।

–सही–
रामप्रसन्न शर्मा
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur